प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.03.2025

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत गुमशुदा किशोर की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लेकर निशानदेही से घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित आलाकत्ल 01 चाकू व ईंट बरामद।

कार्यवाही/घटना का विवरणः- दिनांक 04.03.2025 को थाना साहिबाबाद पर वादी श्री वकील अल्वी पुत्र मरहूम सद्दीक निवासी बडी मस्जिद के पीछे ग्राम अर्थला मोहन नगर साहिबाबाद जिला गाजियाबाद द्वारा थाना उपस्थित आकर तहरीर दी और बताया कि दिनाँक 03.03.2025 को वादी का पुत्र रिहान उम्र करीब 13 वर्ष दोपहर करीब 02.00 बजे नमाज पढ़ने गया था जो वापस नही आया, उक्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा धारा - 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। उपरोक्तक्रम में दिनांक 05.03.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या की घटना कारित करने वाले 02 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया एवं उनकी निशानदेही पर वादी के पुत्र रिहान का शव एवं हत्या में प्रयुक्त रक्तरंजित आलाकत्ल 01 चाकू व ईंट, मृतक रिहान की टोपी, चप्पल, सादा व खूनालूदा मिट्टी एवं बाल अपचारी की खूनालूदा शर्ट तथा खूनालूदा प्लास्टिक का कट्टा बरामद। अभिरक्षा में लिये गये दोनों बाल अपचारियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभिरक्षा में लिये गये दोनों बाल अपचारी से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि एक बाल अपचारी कक्षा-10 में चौधरी विशन सिंह स्कूल रामनगर अर्थला में पढ़ता है तथा मृतक रिहान जो कैलाशवती स्कूल में कक्षा-9 में पढ़ता था वो करीब डेढ़ वर्ष से एक लड़की से बात करता था, पिछले 8-10 माह से बाल अपचारी भी उसी लड़की से इन्स्टाग्राम पर बात करने लगा और वो बाल अपचारी को बहुत अच्छी लगने लगी। इस बारे में मृतक रिहान को बाल अपचारी ने बताया और उसको समझाया कि वो उस लड़की से बात न करे परन्तु मृतक रिहान नही माना और लगातार ये उस लड़की से बातचीत करता रहा, इसी बात को लेकर बाल अपचारी ने ठान लिया था कि मौका मिलते ही रिहान को रास्ते से हटा दूंगा। बाल अपचारी ने यह पूरी बात अपने दोस्त जो आदर्श जूनियर हाई स्कूल अर्थला मोहननगर में कक्षा-7 में पढ़ता है, उसको बताई फिर बाल अपचारी तथा उसके दोस्त ने मिलकर रिहान को जान से मारने की योजना बनाई, योजना के मुताबिक दिनांक 03.03.2025 बाल अपचारी का दोस्त चाकू लेकर आ गया और दोनों मिलकर करीब 02 बजे नमाज के बाद रिहान को अपने साथ ले आये कि चलो हम तीनों चलकर पार्श्वनाथ वाली बिल्डिंग की छत पर चलकर इन्स्टाग्राम पर वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। दोंनो बाल अपचारी की बातों में रिहान आ गया और वह दोनों बाल अपचारी के साथ पार्श्वनाथ बिल्डिंग की छत पर चला आया फिर तीनों ने मिलकर उसी बिल्डिंग में वीडियो बनाई और मौका देखकर बाल अपचारी के दोस्त ने रिहान को पीछे से पकड़ लिया तभी बाल अपचारी ने सामने से रिहान के माथे पर जोर से ईंट मार दी। जिससे वह बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा फिर बाल अपचोरी के साथी ने उसके पेट पर चाकू मारा और उसके बाद दोनों ने उसकी पहचान छिपाने के लिये ईंट से रिहान के सिर व चेहरे पर बार-बार वार किया

। जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। हत्या कर उसके शव को प्लास्टिक के कट्टे से ढ़क दिया और रिहान के मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके हिण्डन नदी में फैक दिया।

बरामदगी का विवरणः-

- हत्या में प्रयुक्त रक्तरंजित आलाकत्ल 01 चाकू व ईंट, मृतक रिहान की टोपी, चप्पल, सादा व खूनालूदा मिट्टी एवं बाल अपचारी की खूनालूदा शर्ट तथा खूनालूदा प्लास्टिक का कट्टा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा एक व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट को काटकर जीवन को संकट में डालने वाले 03 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार।

दिनांक 03.03.2025 को थाना वेव सिटी पर वादी श्री प्रिंस यादव पुत्र श्री संजय निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद की प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण किन्नर पारो एवं 3-4 व्यक्ति अज्ञात द्वारा आपराधिक षडयन्त्र करते हुए वादी के पिता के कमरे में घुसकर सोते हुए वादी के पिता को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर वादी के पिता के प्राइवेट पार्ट को काटकर ले जाना व गर्म पानी डालने के सम्बन्ध में, थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थानास्तर से घटना के अनावरण एवं गिरफ्तारी हेतु 02 टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 06.03.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट एवं सीसीटीवी फुटैज के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभि0गण 1.जोगेन्द्र उर्फ मोहिनी पुत्र जगपाल निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद 2.तानिया खान उर्फ बंगालन पुत्र स्व0 जहांगीर खान उर्फ कान्ता निवासी पहला पुस्ता म0नं0 31 गली नं0 01 शराब के ठेके के सामने शास्त्री पार्क थाना शास्त्री पार्क दिल्ली 3.ब्रह्म सिंह उर्फ अजय पुत्र भगवंत निवासी एमआर फार्म हाउस के पास मानसरोवर पार्क थाना वेव सिटी गाजियाबाद को दिल्ली पुलिस कालोनी खाली स्थान ग्राम शाहपुर बम्हैटा लालकुंआ से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारे पास में मानसरोवर पार्क में पारो नाम का किन्नर रहता है। जिसके पास काफी सम्पत्ति है। हम लोग पारो किन्नर से क्षेत्र को लेकर दुश्मनी रखते हैं। जिसको लेकर हम लोगों ने यह योजना बनाई थी कि हम लोग ग्राम शाहपुर बम्हैटा के संजय यादव जो कि पहले से ही हमारे साथ काम करता था , को अपने ग्रुप में शामिल करके अपना गुरु बनाना चाहते थे। लेकिन किन्नर समुदाय में बिना प्राइवेट पार्ट हटवाये शामिल नही हो सकता था और न ही पारो किन्नर का गुरु पद ग्रहण कर सकता था। इसलिए हम लोगों ने एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 28.02.2025 को समय करीब रात्रि 11 बजे संजय के घर ग्राम शाहपुर बम्हैटा गये और हम लोगों ने पूर्व में बनाई योजना के तहत संजय के प्राइवेट पार्ट को संजय की सहमति से तानिया खान उर्फ बंगालन उपरोक्त से कटवा दिया गया है जिसका पेमेन्ट संजय यादव ने अपने भतीजे कपिल यादव से पेटीएम के माध्यम से 5000/- रुपये एवं 5000/- रुपये जोगेन्द्र उर्फ मोहिनी उपरोक्त द्वारा नकद तानिया खान को दिये गये और फिर हम लोग वहां से भाग गये। उसके बाद हम लोगों को जानकारी हुई कि संजय के बेटे

प्रिन्स ने थाना वेवसिटी में रिपोर्ट करवा दी है। जिसके कारण हम लोग पुलिस से बचने के लिए छिपे हुए थे। आज हम लोग जानकारी करने के उद्धेश्य से यहां पर आये हुए थे कि आपने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

1.जोगेन्द्र उर्फ मोहिनी पुत्र जगपाल निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद, उम्र 35 वर्ष

2.तानिया खान उर्फ बंगालन पुत्र स्व0 जहांगीर खान उर्फ कान्ता निवासी पहला पुस्ता म0नं0 31 गली नं0 01 शराब के ठेके के सामने शास्त्री पार्क थाना शास्त्री पार्क दिल्ली, उम्र 27 वर्ष

2.ब्रह्म सिंह उर्फ अजय पुत्र श्री भगवंत निवासी एमआर फार्म हाउस के पास मानसरोवर पार्क थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र 58 वर्ष

पंजीकृत अभियोग एवं आपराधिक इतिहासः-

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अभि0गण के विरुद्ध थाना वेव सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त तानिया खान उर्फ बंगालन के विरुद्ध थाना निजामुद्दीन दिल्ली में झगड़े का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

झूठा मुकदमा लिखाकर मिथ्या साक्ष्य देने वाली व उद्यापन करने वाली महिला के साथ मिलकर षडयन्त्र करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरणः- मुकदमा वादिया द्वारा थाना कविनगर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 123/124(1) /127(2) /115(2) /70(1)/352/351(2) बीएनएस 3(2) 5 एससी एसटी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया जिसमे उसने एक ग्रे कलर कार में सवार दीपक चौहान उर्फ मोहनती , वैभव चौहान उर्फ रोबिन तथा एक अज्ञात द्वारा उसका करीब साढे आठ बजे सोमवार बाजार जाते समय अपहरण करना, इन्जक्शन लगाकर सुन्न करना तथा उसकी गर्दन पर ज्वलनशील कैमिकल डालना तथा उक्त तीनों द्वारा बारी –बारी से बलात्कार करना व उसके प्राईवेट पार्ट में बोतल आदि डालना के आरोप अंकित किये थे तथा अपने बयान धारा 180 बीएनएसएस में बताया कि उक्त घटना करने बाद उसको आरोपीगण द्वारा महरौली फाटक के पास कूड़े के ढेर के निकट फेंक दिया था जहाँ वह काफी समय तक अचेत पडी रही कुछ हालत में सुधार होने पर करीब 10.00 बजे अपने घर आयी तथा फिर कुछ समय पश्चात 112 को सूचना दी गयी।

जिसकी विवेचना के क्रम में चार टीम गठित कर सीसीटीवी कैमरे चेक किये गये एवं सीडीआर एवं इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के पीडिता द्वारा कराये गये निरीक्षण घटनास्थल के आधार पर सीसीटीवी कैमरो का अवलोकन किया गया तो पीडिता ने स्वंय को जहाँ (महरौली फाटक के पास) पर फेंकना बताया था महिला द्वारा बतायी गई तथाकथित घटना के पश्चात एवं 112 को सूचना देने के मध्य करीब दो से ढाई घण्टे की अवधि है। गहनता से जांच करने पर पाया गया कि उक्त महिला एक गाडी से बैठकर जाती दिखाई दी जिसके सम्बन्ध में सीसीटीवी एंव मुखबिर की मदद से ज्ञात हुआ कि उक्त गाडी नीली बलैनो होना पायी गयी जिसके स्वामी के सम्बन्ध में जानकारी करने पर आरोपी तैमूर खान पुत्र स्व0 अहमद अली निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड का होना पाया गया जिसकी पुष्टि उक्त महिला एवं तैमूर उपरोक्त की सीडीआर से भी हुयी। तथा साक्ष्य संकलन से आरोपी द्वारा साजिश रचकर विपक्षीगण के विरुद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। साथ ही आरोपी

महिला व सहअभियुक्त द्वारा भी बयानों में बताय़ा गया कि महिला के साथ कोई घटना नहीं हुयी थी बल्कि उस रात दोनो खाना खाने आरडीसी के शेख सिंह की हट्टी आए थे। जहाँ पर वेटर द्वारा उनको पहचानकर तस्दीक किया गया था। पुलिस द्वारा तथाकथित घटना में प्रयोग की गई बलैनो गाडी न0- UP16DK 0475 कलर नीला भी बरामद कर ली गई है।

जिसके आधार पर अभियोग में धारा 318(4)/231/308(3)/352 बीएनएस से परिवर्तित कर धारा 61(2) बीएनएस सहपठित धारा 231/308(3) बीएनएस में महिला के साथी अभियुक्त तैमूर उपरोक्त को झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करवाना ,झूठे आरोप लगाकर उद्यापन करने का षडयन्त्र रचना विपक्षीगण को आरोपित करना आदि तथ्यों में गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तैमूर खान पुत्र स्व0 अहमद अली निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 61(2) बीएनएस सहपठित धारा 231/308(3) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना कविनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद